उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 17.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 17.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं को किया गया जागरूक...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में *महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा* सम्मान हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक- 17.09.2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसी क्रम में जनपद के अन्य थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया और शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं महिला सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पम्पलेट वितरित कर हेल्पलाइन नम्बरों का प्रचार-प्रसार किया गया। जिसमें क्रमशः

थाना कोतवाली नगर महोबा – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना कबरई – कस्बा कबरई में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में
थाना खन्ना- विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना चरखारी – कस्बा चरखारी में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में
थाना खरेला – कस्बा खरेला के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में
थाना श्रीनगर – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना पनवाड़ी – थाना पनवाड़ी के कस्बा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में
थाना महोबकंठ – कस्बा महोबकंठ के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में

इस दौरान महिलाओं बालिकाओं से वार्ता कर परस्पर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें उनके अधिकारों से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों, *गुड टच-बैड टच*, *साइबर अपराध* से बचाव एवं विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:-

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा, **1076 –** मा० मुख्यमंत्री हेल्प लाइन
1090 – विमेन पावर हेल्पलाइन, **1930 –** साइबर अपराध हेल्पलाइन **102 –** स्वास्थ्य सेवा,
108 – एम्बुलेंस सेवा **1098 –** चाइल्ड हेल्पलाइन, **181 –** महिला हेल्पलाइन

इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं एवं विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और हर परिस्थिति में उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है।

महोबा पुलिस की त्वरित कार्रवाई-

पत्नी से मारपीट करने वाला शराबी पति गिरफ्तार, भेजा गया जेल

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ पुलिस द्वारा महिला उत्पीड़न के प्रकरण में त्वरित व प्रभावी कार्रवाई की गई। आज दिनांक 17.09.2025 को पीड़िता श्रीमती राजकुमारी पत्नी बबलू अहिरवार निवासी राजावार्ड, थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा द्वारा थाने पर उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसका पति शराब के नशे में आए दिन गाली-गलौज कर मारपीट करता है।

प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कुलपहाड़ में एनसीआर संख्या 64/2025 धारा 115(2)/352 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर जांच उपनिरीक्षक विकास तिवारी द्वारा प्रारम्भ की गई। दौराने जांच पति-पत्नी की आपसी बातचीत करायी जा रही थी कि अभियुक्त पुनः उग्र होकर पत्नी से विवाद एवं मारपीट पर आमादा हो गया और पीड़िता आत्महत्या का प्रयास करने की स्थिति में आ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त बबलू अहिरवार पुत्र राजू अहिरवार उम्र 33 वर्ष निवासी राजावार्ड थाना कुलपहाड़ को दिनांक 17.09.2025 समय 14:30 बजे धारा 170/126/135 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर माननीय उपजिला मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में उपजिला कारागार महोबा भेज दिया गया।

महोबा पुलिस महिला सुरक्षा एवं संज्ञेय अपराधों की रोकथाम हेतु प्रतिबद्ध है।